

## प्रेस नोट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर दिनांक 05.08.2022

### अवैध तमंचे के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, तमंचा व कारतूस बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा "अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी" के संबंध में चलाये जा रहे अभियान/निर्देश के क्रम में व पुलिस अधीक्षक उत्तरी गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी कैम्पिंगरंज के कुशल पर्यवेक्षण में व प्रदीप शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में दिनांक 04.08.2022 को थाना क्षेत्र में अपराध की रोकथाम के दृष्टिगत 30नि0 चन्द्रभान भारती व का0 अरविन्द सिंह के क्षेत्र में मामू होकर चेंकिंग के दौरान एक वांछित एक नफर अभियुक्त श्यामनरान पान्डेय पुत्र चन्द्रिका पान्डेय निवासी बालापार थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर उम्र करीब 46 वर्ष गोरखपुर को रोका व टोका गया तो भागने लगे जिनको हमराही कर्मचारियों की मदद से कुछ ही दूरी पर दौड़ाकर पकड़ लिया गया। जिनकी तलाशी ली गयी तो उसके पास से 01 अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ जिनको समय करीब 10.45 बजे रात्रि मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा रहा है।

### अपराध विवरण/अभियुक्तगण से पूछताछ —

अभियुक्त से पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि अभियुक्त द्वारा नाजायज असलहा रखकर किसी को धमकाने व डरवाने के काम प्रयोग करता था।

### अभियुक्त का विवरण -

श्यामनरान पान्डेय पुत्र चन्द्रिका पान्डेय निवासी बालापार थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर उम्र करीब 46 वर्ष

### गिरफ्तारी का स्थान व समय:-

स्थान- बालापार जाने वाला मार्ग पर समय करीब 10.45 बजे रात्रि दिनांक 04.08.2022

### बरामदगी का विवरण:-

01 नाजायज तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस बरामद 315 बोर

### अभियुक्त का आपराधिक इतिहास एवं पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 523/12 धारा 323,324,326,506 भादवि थाना चिलुआताल गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 -298/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलुआताल गोरखपुर

### गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

- 1-30नि0 चन्द्रभान भारती थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
- 2-का0 अरविन्द सिंह थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर